न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 02/2023(GCMS 2022/279)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **विरेन्द्रनाथ पुत्र श्री गुरबचन चन्द** जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
2. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील– श्रीकरणपुर** जिला श्रीगंगानगर (राज.)

03.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड़ अधिकारी श्रीकरणपुर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 12 ओ, तहसील श्रीकरणपुर में स्थित मुरब्बा नं. 3 के बीघा नं. 13, 18 व 23 में से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर प्रार्थी भा.रा.रा.प्रा. में निहित हो गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अवस्थित सरंचनाओं/परिसंपत्तियों यथा पेड़ पौधों आदि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात [illegible] विरुद्ध जाकर अनैतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना/परि[illegible] यथा पेड़ पौधों आदि स्थापित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MoRTH, भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वार अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड, सरंचना/परिसंपत्ति इत्यादि क मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति क अनुसार किया जायेगा तथा धारा की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता। इसलिये धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित नये पेड़—पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 20.05.2021 को पारित कर दिया गया. इसलिये अवाप्त भूमि के मुआवजे के अनुसार ही पेड़—पौधो के मुआवजे का निर्धारण भी धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार मौजूद [illegible] की आयु, प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता, स्थिति आदि मानकों से संबंधित साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया जाना न्यायोचित व विधि अनुसार था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त के संबंध में कुछ भी नही किया गया, इसलिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़—पौधों का पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 24.06.2022 विधि अनुसार नही होने से अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में किन्नू के पेड़—पौधों के संबंध में पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 इसलिये भी निरस्त/ संशोधित किये जाने योग्य है कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्तधीन भूमि पर बाहर से लाकर नये पेड़—पौधे रोपित कर दिये गये। सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अप्रार्थी खातेदार की अवाप्त भूमि पर लगे हुए पेड—पौधों के अलावा भी ऐसे पेड़—पौधों को मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो धारा 3ए अधिसूचना के पश्चात् लगाये गये थे, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़—पौधों की संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र आदि के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी ने धारा 3ए की अधिसूचना की तत्समय की मौकास्थिति की बिना जाँच किये ही गम्भीर त्रुटि कर आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि संशोधित/ निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 17.09.2021 की मौका स्थिति अनुसार समस्त 52 किन्नू के पौधों में से 10 के पौधों की आयु 5 वर्ष, 02 पौधों की आयु 02 वर्ष मानी जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जबकि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार प्रश्नगत किन्नू 10 पौधे की आयु लगभग 2 वर्ष से कम तथा 02 पौधे स्थित नहीं, होना साबित होते है। ऐसी दशा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी खातेदार के 10 पौधों की आयु 2 वर्ष से कम होने के कारण आधार मूल्य के अन्तर्गत ही आते है, जिनका भी अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी खातेदार द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 45 मीटर के संरेखण (Alignment) में धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अनुचित एवं अवैध तरीके से अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में नये किन्नू के पौधे/वृक्ष रोपित किये गये है, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की आयु व संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र, है। इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पौधों का कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जाँच किये धारा 3ए अधिसूचना के समय की मौकास्थिति के विरूद्ध तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उक्त किन्नू के 10 पौधों की सम्पूर्ण आयु के हिसाब से एवं 2 पौधो का आधार मूल्य के हिसाब से नियम विरूद्ध मुआवजा राशि की गणना कर दिनांक 24.06.2022 को आलोच्य अवार्ड पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसे सुधारा जाकर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने वर्ष 2022 में किन्नू के पौधों की कुल आयु 20 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, सहायक निदेशक, उद्यान– श्रीगंगानगर द्वारा भाराराप्रा की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधे की मूल्यांकित राशि ...20/– निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम ... सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भिजवायी गयी थी, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले व सूरतगढ़ की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार / उत्पादन एक समान है। ऐसी दशा में अप्रार्थी खातेदार 25 वर्ष के किन्नू के 40 पौधो का कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुआवजा राशि का निर्धारण में पौधों की उम्र व भाव तय करने में कोई स्पष्टता / पारदर्शिता नहीं है। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने मन मुताबिक पेड़–पौधों का बाजार भाव व उम्र नियम विरूद्ध तय किया है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पेड़ पौधों के संबंध में सक्षम स्तर से आवश्यक जाँच करवाकर बाजार भाव, उम्र व रोपित करने के संबंध में समुचित साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बाग में लगे सभी पौधे समान उत्पादन नही देते है। प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता की जांच कर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए । अवाप्ति में आने वाले पौधों का भविष्य में किसी प्रकार का उत्पादन, खर्च / लागत होने की कोई संभावना ही नही होती है, इसलिये अवाप्त पौधे का भविष्य के आधार पर कोई मुआवजा ही निर्धारित नही किया जाना चाहिए, जिसके कारण अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य फलदार पौधो की शेष आयु को आधार बनाकर लगभग 10 गुना अधिक राशि से मूल्यांकन किया जाता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में भी कर दिया गया है। जबकि सीमावर्ती राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु एवं एक वर्ष में होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुए मूल्यांकन किया जाता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा समुचित साक्ष्य ली जाकर मुआवजे का पुनरावलोकन कर मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भा.रा.रा.प्रा. द्वार प्रार्थना पत्र व लिखित बहस में वर्णित तथ्यो की रोशनी में सक्षम प्राधिक उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा पारित पेड़–पौधो का संरचना अवार्ड 24.06.2022 को अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त कर संशोधित मध्यस्थ पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान व कृपा करे। अन्य कोई विधि सम्मत आदेश, जो श्रीमान मध्यस्थ महोदय, प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में उचित समझे पारित करने की कृपा करें

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि 12 ओ, तह. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 13/19, 18. 23 की भूमि आवाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नैशनल हाईवे एक्ट धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को प्रकाशित की गयी थी, उसके बाद आवाप्त की कार्यवाही की गयी, 21 दिन का नोटिस दिया गया। एतराज सुनकर दिनांक 26.05.2021 को भूमि का अवार्ड जारी किया और दो पेपरों में 31.08.2021 को प्रकाशित किया गया। बागवानी के सम्बन्ध में 2021 में सहायक निदेशक उधान विभाग को नियुक्त करके मौका देखा गया। सहायक निदेशक उधान विभाग की टीम के साथ जयपुर की टीम साथ में जाकर पोधों का मूल्यांकन किया गया और उसके धारा 3डी के तहत उसको अन्तिम रूप मानकर सैन्टर गवर्मेन्ट को प्रेषित की गयी, सेन्टर गवर्मेन्ट ने उसका फाईनल 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया गया लेकिन इ[illegible] उल्लेखित करना चाहता हूं कि 2021 में फाईनल नोटिफिकेशन जारी किया ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भूमि तब तक भारत सरकार में निहित नहीं होती जब तक पोजेशन लेने से पहले राशि खातेदार के नाम से जमा न करवा दी जावे। उक्त मामले में आज तक राशि जमा नहीं करवायी । इसलिए विल्लंगमों से मुक्त भारत सरकार में भूमि निहित नहीं मानी जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि पेड़ पोधे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लगाये गये है। गंगानगर जिले में एक ही बाग श्रीकरणपुर में लगा है जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है जिसका पानी चार गुणा मंजूर किया गया है और रिकार्ड में भी बाग है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दस्तावेज पेश करना का कर्तव्य याचिकाकर्ता का था। याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जहां तक भूमि आवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) का हवाला दिया है यह प्रावधान इस पर लागू नहीं है। इसमें केवल एन एच की धारा 3ए ही लागू की गयी है उसके अनुसार ही खातेदार मुआवजा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थी द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी की गयी है। मुआवजा सहायक निदेशक उधान विभाग की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है जो एक टैक्नीकल ऑफीसर हैं इस विषय में वे एक्पर्ट है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उधान विभाग द्वारा जो रिपोर्ट 2021 में दी है उस समय 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेड़पोधों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा का निर्धारण किया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही भूमि का मुआवजा दिनांक 26.05.2021 को तय किय गया है और दिनांक 22.06.2022 को पोधों के बारे में अवार्ड विधिसम्मत पारित किया है। तीन तीन गठित कमेटी सहायक निदेशक उधान गंगानगर व जयपुर विभाग द्वारा व संयुक्त निदेशक विभाग गंगानगर द्वारा मौका देखकर रिपोर्ट की गयी है। बहस में मिथ्या कथन दर्ज किये हैं जो काबिले निरस्ती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के पोधे न तो बढाए गए हैं न घटाये गये है। अप्रार्थी का बाग राज्य सरकार से स्वीकृत है अप्रार्थी का बाग रिकॉर्ड में जमाबन्दी में दर्ज है। अप्रार्थी के पोधे 2018 में व 2021 में 15—18 वर्ष के पुराने पोधे हैं और जिसकी हर छः माह बाद नहरी पटवारी व राजस्व पटवारी मौके पर जांच करता है। यदि पोधे पूरे होते हैं तभी बाग का पानी निरन्तरता में रहता है। जब से बाग लगा है आज तक ऐसी कोई एडवर्स रिपोर्ट अप्रार्थी के खिलाफ नहीं है। आवेदन—पत्र में मिथ्या कथन दर्ज किये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के बाग में किन्नू के पोधों की आयु 15 से 18 वर्ष बताई है। अप्रार्थी के 52 पोधे लगे हुए थे जो मौके पर हैं इसमें पिछली दफा गर्मी ज्यादा होने के कारण दो पोधे जल गये थे उसकी जगह नये पोधे लगाये गये हैं। इसमें यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो सहायक निदेशक उधान विभाग द्वारा जो रिपोर्ट 2021 में तैयार की गयी है वह याचिकाकर्ता को साथ लेकर मौके पर जाकर गठित कमेटी द्वारा तैयार की गयी है। अप्रार्थी के नाम गिरदावरी, जमाबन्दी नाम है और रिकॉर्ड में भी बाग दर्ज है। जो स्वीकृत शुदा बाग है उसमें राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही पोधों की स्थिति चेंज की जा सकती है लेकिन उक्त केस में ऐसा कोई भी तथ्य याचिकाकर्ता द्वारा पेश नहीं किया गया । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के 52 पोधे किन्नू के हैं जो 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2021 सहायक निदेशक उधान विभाग द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी है। जिसमें एक ही जगह किन्नू का बाग लगा हुआ है जिसमें किन्नू के पोधों की उम्र 20 [illegible] है जिसमें अब प्रार्थी कहता है कि अब 02.04.2018 में दो वर्ष है जबकि अप्रार्थी 02.04.2018 को ध्यान में रखते हुए 2021 में पेश की थी उसी आधार पर ही मुआवजे का निर्धारण किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है। जहां तक सूरतगढ व हनुमानगढ जिले का याचिकाकर्ता द्वारा लिखा गया है, हर पोधे की वैरायटी का अलग अलग क्राईटऐरिया है। सूरतगढ में बंजर भूमि व रेतीली है वहां किस वैरायटी का पौधा लगा है और गंगानगर के किन्नू किस वैरायटी के लगे हैं यह प्रार्थी द्वारा परिभाषित नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदन पत्र में राज्य स्तरीय गठित कमेटी का हवाला दिया है बिल्कुल निराधार है। आज भी गूगल में देख सकते हो कि किन्नू के पोधे निर्धारित मापण्ड के अनुसार लगे हुए है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 02.07.2021 को जो रिपोर्ट की है वह दिनांक 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिसमें 52 पौधों की आयु 18 वर्ष लिखी है, जिससे यह स्वीकार है कि यह स्वीकृत शुदा बाग है और आज से काफी पहले लगा हुआ है, जिसका कब्जा प्रार्थी ने दे दिया है, इंतकाल भी भारतमाला के नाम से दर्ज हो चुका है, लेकिन मुआवजा अभी तक जमा नहीं करवाया है । जबकि कब्जा लेने के समय राशि जमा करवायी जानी एनएच एक्ट की धारा 3डी के अनुसार मेन्डेटरी प्रोविजन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक कृषि खण्ड, श्रीगंगानगर की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसकी गणना दोबारा की जावे। जब मौके पर बाग लगा हुआ है तो बाग की परिभाषा में ही प्रार्थी का उद्यान आता है। प्रार्थी द्वारा केवल प्रकरण को लम्बा करने की नीयत से लिखित बहस प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर राशि जमा नहीं करने के लिए यह सारी कार्यवाही के लम्बी की जा रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 24.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो अवार्ड जारी किया गया [illegible] व विधि अनुसार जारी किया गया है। प्रार्थी की याचिका मय खर्चा खारिज कर [illegible] का मय ब्याज राशि जमा करवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों एवं सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी विरेन्द्रनाथ की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 34.500 कि.मी. से 71.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/ चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी विरेन्द्र नाथ की भूमि ग्राम 12 ओ के मुरब्बा 3 के किला नम्बर 13, 18 व 23 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से Strcture & Trees Valuation राशि 16,54,532/– का निर्धारण किया गया है और Strcture & Trees Valuation के समतुल्य तोषण (Solatium) राशि 16,54,532/– रूपये, इस प्रकार कुल 33,09,064/– रूपये की मुआवजा राशि का निर्धारण कर, अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है। सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 24.06.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की है और 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 33,09,064/– तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, अप्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि अप्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने **वाली भूमि** का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

> (7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--
>
> **(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;**
>
> (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;
>
> (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;
>
> (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.042018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

3A. Power to acquire land, etc.--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा **3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)** भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :

(i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation, As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Pr[illegible] Notification in the Official Gaxette, with the [illegible] extra money from such sale. In the process, the landowner en[illegible] creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि/बाग आदि का अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी विरेन्द्र नाथ की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी विरेन्द्र नाथ की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की है। उक्त मौका निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को अवाप्त की गई में भूमि कुल 52 पौधा पाये जाना बताये गये है, जिनमें 10 पौधे 5 वर्ष के, 2 पौधे मृत बताये गये एवं 40 पौधे 25 वर्ष के पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, सहायक कृषि अधिकारी (उद्यान), प्रोजेक्ट इंचार्ज एवं सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई **भूमि पर गूगल ईमेज के आधार पर बाग के रूप में जो पौधे अस्तित्व में थे उसी अनुरूप अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर मुआवजा बनता है।**

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार मुआवजा राशि देय नहीं बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.09.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 40 पौधे 25 वर्ष के, 10 पौधे 5 वर्ष के एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2 पौधे मृत बताये गये है इस प्रकार दिनांक 17.09.2021 को कुल 52 पौधे बताये गये है। इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2021 में अंकित कुल 52 पौधों में से 40 पौधे की आयु 25 वर्ष व 10 पौधें की आयु 5 वर्ष एवं 2 पौधें मृत बताये गए है उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 17.09.2021 को कुल 52 पौधों में से 40 पौघों की आयु 25 वर्ष बताई गई, दो पौधे मृत और 10 पौधें की आयु 5 वर्ष बताई गई है। **उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि कुल 52 पौधे बताये गये है,** जो दिनांक 17.09.2021 को 40 पौधे 25 वर्ष के, 2 पौधे मृत है एवं 10 पौधों की आयु 5 वर्ष बताई है। इस प्रकार धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को उक्त कुल 52 पौधों में से 40 पौधों की आयु की आयु लगभग 22 वर्ष की बनती है, 10 पौधों की आयु 1 वर्ष 7 माह एवं शेष 02 पौधे अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 अस्तित्व में होने नहीं पाए जाते है। **इस प्रकार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर दिनांक 17.09.2021 की स्थिति के अनुसार जो मुआवजा राशि [illegible] (Structrue & Trees Valuation + Solatium) सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा तय की गई है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 40 पौधों की आयु 22 वर्ष बनती है, 10 पौधों की आयु 1 वर्ष 7 माह बनती है। **तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालतय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162–4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार – मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) – पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है** जो दो वर्ष के किन्नू के पौधे का आधार मूल्य 662/– रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि 1986/– रूपये बनता है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 10 पौधों की मुआवजा राशि 19860/– रूपये बनती है और 22 वर्ष के 01 पौधों की मुआवजा राशि – पौधे का आधार मूल्य + (फलत की शेष आयु X औसत उपज X औसत बाजार भाव) = 12821 + (8X130X18) = 31541/- रूपये बनती है। इस प्रकार 22 वर्ष के 40 पौधों की मुआवजा राशि 12,61,640/– रूपये बनती है। इस प्रकार 22 वर्ष के 40 पौधें एवं लगभग 2 वर्ष के 10 पौधों की कुल मुआवजा राशि 12,81,500/– बनती है और इसी के समतुलय तोषण (Solatium) राशि 12,81,500/– दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 25,63,000/– मुआवजा राशि बनती है। जबकि सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा मुआवजा राशि 33,09,064/– (Structrue & Trees Valuation + Solatium) बनाई गई है जबकि उद्यान विभाग के प्रतिवेदन में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 25,63,000/—(Structrue & Trees Valuation + Solatium) रूपये बनती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत ... अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर ... अस्तित्व मे नहीं होने के कारण कोई मुआवजा राशि नहीं बनती है। इस प्रकार मुआवजा राशि में 7,46,064/– अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उद्यान विभाग की मौका निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 में अप्रार्थी के मुरब्बा नं. 3 के किला नं. 18/0.1372, 13/0.292 एवं 23/0.129 कुल रकबा 0.547 हैक्टेयर में से भारतमाला रोड गुजरनी प्रस्तावित है, में किन्नू का बाग दिखाया है जबकि तहसीलदार, करणपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 में मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 13/1,18/2, 19, 23/1 का आंशिक भाग भारतमाला सड़क के अन्तर्गत अवाप्त किया गया है जिस पर किन्नू का बाग लगा होना बताया है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी में सम्वत् 2070—73, 2074, 2076 एवं 2077 में किला नम्बर 13 में बाग होना नहीं दर्शाया गया है जबकि किला नम्बर 18/2, 19, एवं 23/1 में किन्नू का बाग दर्शाया गया है और सम्वत् 2078 की गिरदावरी में मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 13/1, 18/2, 19, 23/1 में बाग दर्शाया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि मुरम्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 13 में अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 तक बाग मौजूद नहीं था। राजस्थान भू—अभिलेख अधिनियम 1957 के रूल्स 58 के अनुसार गिरदावरी हेतु किये जाने वाले दौरे का आरम्भ और उसकी समाप्ति की दिनांक निम्न होगी :

नाम (फसल)	**दिनांक प्रारम्भ होने की**	**दिनांक पूरा होने की**
खरीफ (सियालू)	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
रबी (उल्हालू)	1 फरवरी	5 मार्च
जायद (विशेष उन्हालू)	1 मई	15 मई

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2076—77 जिसकी स्थिति अनुसार 06 अप्रैल 2019 से 24 मार्च 2020 तक मुरब्बा नम्बर 03 के किला नम्बर 13 में कोई बाग मौजूद नहीं था और इस गिरदावरी के अनुसार धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को बाग होना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए गिरदावरी के अनुसार भी अप्रार्थी का किला नम्बर 13 का कोई मुआवजा भी देय नहीं बनता हैं। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6.10(6)राजस्व–6 /98/3 दिनाक 02.8.2000 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष ....

गांव का नाम .... गिरदावर वृत ....

तहसील .... जिला...............................

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'–1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल .... भू.अ.नि.वृत .... तहसील ....

जिला .... वर्ष ....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	[illegible]	[illegible]	10	11	12	13	14

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र-3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील ....

संवत .... वर्ष 2022-23 (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

जिला श्रीगगानगर

क्रम संख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमे फलदार वृक्ष है	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसमं फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बडों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ-1 एवं 2 एवं मुरब्बा नं. 3 व किला नं 13, 18 एवं 23 में स्थिति क्या है?, अंकित सम्बन्धित समस्त/स्पष्ट गिरदावरीयां प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं।

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, में 40 पौधों की आयु 22 वर्ष एवं 10 पौधों की आयु 5 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को [illegible] बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को बाग में रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा मुआवजा राशि 33,09,064/— (Structrue & Trees Valuation + Solatium) अवार्ड के रूप में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के आधार पर नहीं है। इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से तय मुआवाज राशि, अप्रार्थी विरेन्द्र नाथ की हद तक खारिज किया जाता है। सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग था अथवा नहीं?, की जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को बाग अस्तित्व में था तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 की ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई कर, एवं पुनः सुनवाई करें एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना 6.10(6)राजस्व–6 /98/3 दिनाक 02.8.2000 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों की गिरदावरी का भी निरीक्षण कर अवार्ड जारी करें। इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested